

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 167/2017

ड.न = 406

(1) फकरुद्दीन ए/0 इस्माइल ^{बनाम} हुतलमा

(2) शमसुद्दीन ए/0 इस्माइल हुतलमा

R/W कादौला

- (1) गोपाल ए/0 शरण प्रीणा
(2) लक्ष्मण ए/0 शरण प्रीणा
(3) हरि ए/0 शरण प्रीणा
(4) रामपाल ए/0 नाराण बलारि
R/W कादौला

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-23/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री फकरुद्दीन हुतलमा ने जरिये अभिभाषक श्री डि.के. तम्बे ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम कादौला तह0 प0ह0 कादौला तह0 माण्डलगढ मे आराजीन

1749, 2842/1749, 2980/1750

किता रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीम विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जा साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्राथ की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071 (2077) के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाब शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडत है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाक ग्राम कादौला की आराजी न0 1749, 2842/1749, 2980/1750

रकबा बीघा 11 बिस्वा 07 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जा के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। ए पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदा माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी